संख्या-605/2018/1239/22-2-2018-17(299)/1992

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/प्रोबे0अनु0(2)-199/सला0समिति/ (एम 09-07-2018) दिनांक 17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम, निवासी-हरिहरपुर, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। जमीनी विवाद के कारण बन्दी ने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.05.1982 को दोपहर लगभग 12:00 बजे लाठी, बन्दूक व तमंचा से हमला कर 04 व्यक्तियों की हत्या एवं 08 व्यक्तियों को गंभीररूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 10.10.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.05.1984 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 29 वर्ष 06 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 04 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी को पैरोल अवधि समाप्ति पर विलम्ब से हाजिर होने के लिए भविष्य में पैरोल न दिये जाने एवं अनुशासनहीनता को उसके रोल पर अंकित किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने अपराध करने में अशक्त न होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1, लखीमपुर खीरी ने अपने अभिमत दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

04.10.2016 द्वारा समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत उक्त बन्दी को समयपूर्व रिहा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत न मानते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी की आयु 58 वर्ष 10 माह लगभग है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है की पुष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। पीठासीन अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दी हरीशंकर पुत्र श्री नेतराम की समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-175/2017 हरीशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीशंकर (बन्दी संख्या-26470) पुत्र श्री नेतराम**,** निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-605/2018/1239(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in